



POLICE COMMISSIONERATE



GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनांक 09.05.2026

1. थाना नॉलेज पार्क पुलिस द्वारा मात्र 24 घण्टे के अन्दर हत्या की घटना का अनावरण करते हुये पुलिस मुठभेड के उपरान्त आरोपी गिरफ्तार ।

घटना का विवरण-- दिनांक 08.05.2026 को अभियुक्त अभिषेक कुमार द्वारा मृतक शीशपाल पुत्र दौलत राम व मृतक इन्द्र उर्फ धर्मेन्द्र पुत्र विजयपाल की फावडे से वार करके नॉलेज पार्क तृतीय ग्रेटर नोएडा के निर्माणाधीन हॉस्टल में हत्या कर दी गयी थी। उक्त प्रकरण में थाना नॉलेज पार्क पर मु0अ0सं0 86/2026 धारा 103(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया था।

कार्यवाही का विवरण-- थाना नॉलेज पार्क पुलिस द्वारा दिनांक 09.05.2026 को गुर्जरपुर रेलवे लाईन की तरफ जाने वाला कच्चा रास्ता थाना नॉलेजपार्क से अभियुक्त अभिषेक कुमार पुत्र राजकुमार को पुलिस मुठभेड के उपरान्त गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा मय 01 खोखा व 01 जिंदा कारतूस .315 बोर बरामद किये गये है।

पूछताछ का विवरण-- अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि मैं व मृतक शीशपाल पुत्र दौलत राम व मृतक इन्द्र उर्फ धर्मेन्द्र पुत्र विजयपाल, दिनांक 06.05.2026 को नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा के नये बन रहे हॉस्टल में माली का काम करने के लिए आये थे। मेरा मनमुटाव शीशपाल से पूर्व से चला आ रहा था। शीशपाल के संबंध, पूर्व में मेरी मृत बहन से थे जिसके कारण वह मुझे ताने देता रहता था और इन्द्र उर्फ धर्मेन्द्र भी उसके साथ मिलकर मुझे ताने मारता रहता था। मैंने इन दोनों को निपटाने की सोच ली और प्लानिंग से मैं इनके साथ काम करने के बहाने ग्रेटर नोएडा आया था कि दिनांक 08.05.2026 को मैंने इन दोनों को शराब पिलाई थी और मैंने बहुत कम शराब पी थी, ताकि मैं होश में रहूँ। जब ये दोनों नशे में होकर सो गये तो मैंने रात्रि में शीशपाल के सिर पर व अन्य जगह -जगह पर फावडा से जान से मारने की नियत से वार कर दिये तथा इतने में ही इन्द्र उर्फ धर्मेन्द्र जाग गया तो मेरे द्वारा उसके सिर व अन्य जगहों पर भी जान से मारने की नीयत से कई वार कर दिये थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण--

अभिषेक कुमार पुत्र राजकुमार निवासी मौहल्ला जयभीमनगर गढ रोड थाना भावनपुर जिला मेरठ उम्र करीब 24 वर्ष

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

1. मु0अ0सं0 86/2026 धारा 103(1) बीएनएस थाना नॉलेजपार्क कमि0-गौतमबुद्धनगर
2. मु0अ0सं0 87/2026 धारा 109 बीएनएस व 3/25/27 आयुध अधिनियम थाना नॉलेज पार्क गौतमबुद्धनगर।